सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय
की शक्तियों का प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)

"बी" विंग, छठा तल, लोक नायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली – 110003

File No-Review/25/JH(Dist- Jamtara)/2024-Coord

दिनांक 23 जुलाई, 2024 को झारखंड राज्य के जामतारा जिले के डॉ. आशा लकड़ा, माननीया सदस्य, (एन.सी.एस.टी) द्वारा किए गए दौरे के बाद समीक्षा रिपोर्ट।

1

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

आयोग के दौरे के दौरान आयोग के निम्नलिखित पदाधिकारी आयोग की माननीया सदस्य(डॉ आशा लकड़ा) के साथ उपस्थित रहे :-

क्र. स.	नाम	पद
1.	श्री पी. के. दास	अनुसंधान अधिकारी
2.	श्री कुशेश्वर साहू	माननीया सदस्य के निजी सचिव
3.	श्री राहुल	अन्वेषक
4.	श्री राहुल यादव	विधिक सलाहकार

दिनांक 23 जुलाई ,2024 को झारखंड राज्य के जामतारा जिले मे छात्रावासों का दौरा, अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों के साथ बैठक और जामतारा जिले की समीक्षा बैठक आहूत की गई |

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी) भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है जो देश में अनुसूचित जनजाति के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास से संबंधित सभी मामलों की अन्वेषण और निगरानी करता है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत निर्णयों पर आयोग से परामर्श करेगा। आयोग को भारत के माननीय राष्ट्रपति को उन सुरक्षणों के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित है और ऐसी सभी रिपोर्ट संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई या की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई और ऐसी सिफारिशों के अस्वीकार करने के कारणों, यदि कोई हो, का स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाने होते हैं।

1: दिनांक : 23/07/24 सुबह 10:00 आदिवासी बालक कल्याण छात्रावास, जामतारा का दौरा|

सुबह 10.00 बजे आयोग की माननीया सदस्य के नेतृत्व में आयोग के दल ने छात्रावास का दौरा किया जिसके दौरे की शुरुवात मे सबसे पहले माननीया सदस्य छात्रों से मिली और उनके साथ पूरे छात्रावास का दौरा किया | छात्रावास का नाम **आदिवासी बालक कल्याण छात्रावास, जामतारा** है | वहां छात्रों को अनुसूचित जनजाति आयोग के कर्तव्यों और शक्तियों के बारे में बताया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा के लिए कार्य करता है तथा इस हेत आयोग समर्पित है।

आयोग के दल ने निरीक्षण के दौरान यह पाया की छात्रावास में कुल 100 बेड्स हैं, लेकिन छात्रों की संख्या का स्पष्ट विवरण आयोग को नहीं सौंपा गया । बेड्स के गद्दे 2008 से अब तक नहीं बदले गए हैं, और उनकी स्थिति बहुत खराब है, जिससे छात्रों की नींद व् दिनचर्या पर प्रभाव पड़ रहा है। प्रत्येक कमरे में 4 बेड की क्षमता है जिसमे 10-12 लड़कियां रहती है । छात्रावास में वार्डन की स्थाई नियुक्ति नही है जिससे छात्र प्रबंधन की व्यवस्थाओं के लिए अत्यंत परेशान है छात्रवास में रसोईया भी उपलब्ध नहीं है जिस कारण छात्र स्वयं खाना बनाते हैं जिसमे प्रति छात्र 350 रुपये खर्चा आता है। छात्रावास में नए बेड्स के लिए लकड़ी व् अन्य सामग्री रखी हुई है, लेकिन इसका काम बहुत समय से शुरू नहीं हुआ है।

2 : दिनांक : 23/07/24 सुबह 11:00 जामतारा महिला कल्याण छात्रावास, जामतारा का दौरा

सुबह 11.00 बजे आयोग की की माननीया सदस्य के नेतृत्व में आयोग के दल ने छात्रावास का दौरा किया जिसके दौरे की शुरुवात मे सबसे पहले माननीया सदस्य छात्राओं से मिली और उनके साथ पूरे छात्रावास का दौरा किया | छात्रावास का नाम **जामतारा इंटर महिला कॉलेज हॉस्टल** है| वहां छात्रों को अनुसूचित जनजाति आयोग के कर्तव्यों

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

File No. Review/25/JH(Dist-Jamtara)/2024-Coord. (Computer No. 24575)
Generated from eOffice by Rahul, INVESTIGATOR-ESDW, INVESTIGATOR, O/o Chairperson-NCST on 21/01/2025 05:14 pm

और शक्तियों के बारे में बताया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा के लिए कार्य करता है तथा इस हेतु आयोग समर्पित है।

आयोग के दल ने निरीक्षण के दौरान यह पाया की छात्रावास में 100 बेड्स है जिसमे 150 छात्र रहते है श्रीमति प्रमिला टूंडू जी को हॉस्टल का वार्डन 22/07/24 (आयोग आगमन से एक दिन पूर्व) को अतिरिक्त पदभार दिया गया वह Assistant Professor के पद पर कार्यरत है छात्रावास में 16 टॉयलेट है जो लगभग सभी ख़राब है छात्र बोरिंग का पानी पीते है और चापानल 2 है जिसमे से एक ख़राब है रसोईया नहीं है छात्रों द्वारा स्वय के पैसो से 2 रसोइये रखे गये है खाना बनाने के लिए कोयले का इस्तेमाल करते है बिजली नहीं है कमरे न. 26, 24, 13,और 29 में पानी गिर रहा है पंखे कमरों में नहीं चल रहे है बल्ब आयोग के आगमन से ठीक पहले ही लगाये गए है और उनमे पॉवर कम है स्नानघर और शौचालयों की सफाई छात्र स्वय करते है इस हेतु छात्रावास प्रबंधन समिति व् कल्याण विभाग द्वारा कोई व्यवस्था नही की गयी है रात्रि व् दिन में बालिका छात्रावास में कोई भी **सुरक्षाकर्मी** नही है जोकि छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अत्यंत चिंताजनक विषय है

Figure 1 जामतारा महिला कल्याण छात्रावास के दौरान लिया गया छाया चित्र

3: अनुसूचित जनजाति समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ जिला जामतारा में बैठक

आयोग के माननीय सदस्या ने वहां उपस्थित लोगों को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कर्तव्यों और शक्तियों के बारे में बताया कि आयोग अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा के लिए समर्पित है। आयोग भारत के संविधान के तहत अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए गए विभिन्न सुरक्षणों के कार्यान्वयन के निगरानी और मुल्यांकन में आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उन्होंने एन.सी.एस.टी के अधिकारियों द्वारा शिकायत की जांच करने और एस.टी समुदायों की शिकायतों का समाधान करने हेतु आवश्यक कार्रवाई व् प्रक्रिया पर प्रकाश डाला तथा बताया कि एस.टी समुदाय अधिकारों को बरकरार रखा जाए और उनकी विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा किया जाए।

आशा लकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

File No. Review/25/JH(Dist-Jamtara)/2024-Coord. (Computer No. 24575)
Generated from eOffice by Rahul, INVESTIGATOR-ESDW, INVESTIGATOR, O/o Chairperson-NCST on 21/01/2025 05:14 pm

अनुसूचित जनजाति समुदायों के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया, जिसके दौरान कई याचिकाएं आयोग को प्रस्तुत की गई। चर्चा के दौरान, माननीय सदस्य ने एस.टी समुदाय के सदस्यों और एस.टी संघो के प्रतिनिधियों को एन.सी.एस.टी.ग्राम पोर्टल (www.ncstgrams.gov.in) के बारे में बताया की इसके माध्यम से आदिवासी समुदाय के सदस्य अपनी शिकायतें आसानी से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी) के पास सीधे तौर पर दर्ज कर सकते है। उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने स्थानीय समस्याओं के बारे में आयोग को अवगत करवाया तथा निवारण हेतु निवेदन किया

Figure 2 अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक

चर्चा के दौरान, अनुसूचित जनजाति के समुदायों को प्रभावित करने वाले कई गंभीर मुद्दें की पहचान की गई जो निम्नानुसार है-

I. **ग्रामीण क्षेत्रो मे सड़कों का अभाव :** करमाटांड प्रखण्ड में सिकरपोसनी पंचायत के चुनकड़ी टोला में 1.5 की.मी. की सड़क की जरूरत है इसी पंचायत में सुखी पहाड़ी गाँव में भी सड़क नही है और ऐसे कई गाँव है जहाँ सड़क नही है|

II. **आवासीय योजना की सेवा प्रदान करना:** राज्य एवं केंद्र सरकार की कई आवासीय योजनाये है परन्तु लोगों को उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है कई पंचायतों में केवल एक व्यक्ति को लाभ मिला है लोगों तक इनका लाभ नही पहुचं पा रहे है इस विषय में कई प्रखंडो से सामान्य शिकायत आयोग को प्राप्त हुई है|

III. **पेंशनधारको की पेंशन प्राप्ति में:** बैठक में आमजन ने आयोग को अवगत कराया की जिन बुजर्गो, विधवा व् विकलांग इत्यादि योजनाओ के माध्यम से जो पेंशन प्राप्ति होती है उसमे समय पर प्रिक्रिया की जाँच न होने पर अत्यंत विलम्ब का सामना करना पड़ता है

IV. **बालिकाओं एवम बालको के लिए जनजातीय कल्याण छात्रावासों का प्रबंधन :** बालिकाओं एवम बालको के लिए जनजातीय कल्याण छात्रावासों के प्रबंधन से संबंधित समस्याओं पर प्रकाश डाला गया की यह संस्थाएं सिर्फ नाम मात्र की है छात्रवास प्रबन्धन को लेके जिला प्रशासन कोई कार्य नही करता है ।

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

File No. Review/25/JH(Dist-Jamtara)/2024-Coord. (Computer No. 24575)
Generated from eOffice by Rahul, INVESTIGATOR-ESDW, INVESTIGATOR, O/o Chairperson-NCST on 21/01/2025 05:14 pm

V. **सरकारी विद्यालयों के बारे में जिले में सामने आए विषय :** मुख्य मंत्री अतिरिक्त बालिका उच्च विधालय के छात्रावास पर NGO द्वारा कब्जा, निजाम विधालय कोड़ापाड़ा की स्तिथि को लेकर शिकायत, सुबाड़ी(रामगढ़) के मध्य विधालय में कई समस्या और सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की समय की पाबंदी और उपस्थिति को चिंता के विषय के रूप में पहचाना गया है जिसमे बताया गया की अध्यापकों व् छात्रों में आपसी भाषा का भी काफी अन्तराल है जिससे छात्रों को समझने में समस्या आती है शिक्षा विभाग को उपस्थिति नीतियों का कड़ाई से पालन करना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी प्रणाली लागू करने पर विचार करना चाहिए कि शिक्षक उपस्थित हो और अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। इससे छात्रों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी।

VI. **अनुसूचित जनजाति के प्रवासियों का पंजीकरण और सुरक्षा:** अन्य जिलों व् राज्यों में काम करने वाले अनुसूचित जनजाति के प्रवासियों के लिए उचित पंजीकरण और सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर चर्चा की गई। प्रशासन को इन व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक पंजीकरण प्रक्रिया विकसित करनी चाहिए और सुरक्षा प्रोटोकॉल स्थापित करना चाहिए। प्रवासी श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अन्य जिलों और संबंधित एजेंसियों के साथ सहयोग आवश्यक है।

VII. **अन्य :** नारायणपुर प्रखण्ड में सहरपुर पंचायत के सहरपुर गाँव में जेहर स्थान की लगभग 5 एकड़ भूमि पर कब्रिस्तान बन रहा है नालाप्रखंड के ठेरा पंचायत में साल कुंडा गाँव में 200 परिवार है जिसमे 25 अनुसूचित जनजाति के परिवार है इन सभी लोगों को राशन लाने के लिए 4 की.मी. दूर जाना पड़ता है रास्ते में जो पुल है वो टूटा हुआ है जिसके कारण लोगों को कई समस्याओं का समना करना पड़ता है | जामतारा प्रखण्ड में बासौनीहस्दा में पंसोलिया में अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा अपनी भूमि के सन्दर्भ में न्यायालय में केस को जीतने के बाद भी उसकी भूमि उनको वर्तमान में वापस नहीं मिली क्योकि ये सब प्रशासन की मिलीभगत से हो रहा है | सीकर-पोसनी पंचायत में धुमकुडीया नहीं है जबकि पंचायत में अनुसूचित जनजाति के 5 गाँव है | गोपालपुर पंचायत में जेहरस्थान का घेराबंदी नहीं हुई है और धुमकुड़ीया का निर्माण भी नहीं हुआ है |

4 . अनुसूचित जनजाति के लिए विभिन्न विकासात्मक एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए जामतारा जिला के उपायुक्त और अन्य अधिकारियों के साथ डॉ. आशा लाकड़ा, माननीय सदस्या, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के द्वारा बैठक की गई।

आरंभ में उपायुक्त ने आयोग की माननीया सदस्य, अनुसंधान अधिकारी पी. के. दास, अन्वेषक श्री राहुल, विधिक सलाहकार श्री राहुल यादव का स्वागत किया। इसके बाद, विभाग-वार आधार पर चर्चा आयोजित की गई। उपस्थित प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारियों ने आयोग की माननीय सदस्या को अपना परिचय दिया। इन परिचयों के बाद आयोग ने जामतारा जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की गहन समीक्षा की। इस समीक्षा का उद्देश्य इन योजनाओं की प्रभावशीलता, पहुंच और प्रभाव का मूल्यांकन कर यह सुनिश्चित करना था कि जिले में अनुसूचित जनजातियों की वांछित उद्देश्यों और जरूरतों को पूरा किया जाए ।

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

File No. Review/25/JH(Dist-Jamtara)/2024-Coord. (Computer No. 24575)
Generated from eOffice by Rahul, INVESTIGATOR-ESDW, INVESTIGATOR, O/o Chairperson-NCST on 21/01/2025 05:14 pm

प्रतिभागियों की सूची संलग्न है।

आयोग का अवलोकन और अनुशंषाए -

जामतारा जिले के उपायुक्त को एक प्रश्नावली भेजी गई थी, जिसमें जनसांख्यिकी, साक्षरता, स्वास्थ्य, कौशल विकास, वित्तीय समावेशन आदि जैसे विभिन्न विषयों को शामिल किया गया था। जिला प्रशासन ने इस प्रश्नावली के उत्तर प्रदान किए। जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑन-साइट तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित टिप्पणियाँ और अनुशंषाए की गई

1. **शिक्षा विभाग**:

सभी संकुल में बच्चों के कौशल विकास हेतु वाद-विवाद, Orientation Program आदि करवाए जाने चाहिए, बच्चों का ड्रॉपआउट रोकने हेतु खेलकूद की प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाए, प्रखंड स्तर पर शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाए, आवासीय विद्यालय भवन को ठीक कराने एवं नई शिक्षा नीति के अनुसार प्रत्येक 5 कि.मी. की दूरी में 01 उच्च विद्यालय का प्रस्ताव विभाग को भेज आगे की कार्यवाही की जाए तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में कितने प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च विद्यालय संचालित हैं एवं उनमें कार्यरत नियमित/अनियमित शिक्षकों में कितने अनुसूचित जनजाति के शिक्षक हैं से संबंधित डाटा आयोग को उपलब्ध करवाया जाए। नई शिक्षा नीति के अनुसार 1 से 5 के विधार्थियों को स्थानीय भाषा में शिक्षा प्रदान करें एंव प्रत्येक प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालयों में कुल विधार्थियों में एस.टी समुदाय के कितने छात्र छात्राएं इसके आंकड़े आयोग को प्रस्तुत करे ड्रॉपआउट बच्चों के प्रमाणित आंकड़े आयोग को प्रस्तुत करें

2. **आपूर्ति विभाग**:

2.1 जन वितरण प्रणाली के तहत कुल 610 दुकान आवंटित है, जिसमे यह बताया जाए की कितनी समिति को और, कितनी व्यक्तिगत को आवंटित की गई है इसके आंकड़े आयोग को उपलब्ध कराये जाए। जिले में कितने MO है? इसके आंकड़े आयोग को उपलब्ध कराये जाए तथा यह भी बताया जाए की कितने प्रखण्डो में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /अंचल अधिकारी ही प्रभार में है ? अपने – अपने क्षेत्र में गरीब परिवारों को लाल कार्ड / अन्त्योदय कार्ड का भी लाभ देने के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रयास किए जाए।

2.2 जन वितरण प्रणाली कि दुकानों में राशन का वितरण ऑनलाइन के माध्यम से किया जा रहा है। कई ग्रामों में बिजली-सड़क की सुविधा नहीं है एवं अभी बरसात का समय आने वाला है। ऐसी स्थिति में ऑनलाइन के माध्यम से राशन का वितरण करने में कठिनाई आती है अतः वर्तमान में 03 माह की अवधि तक सभी संबंधित कार्डधारियों को राशन का वितरण ऑफलाइन के माध्यम से करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जन वितरण प्रणाली की दुकानों में राशन की आपूर्ति समय पर एंव नियमानुसार हो रही है या नहीं इसकी स्थलीय जाँच करके आयोग को भेजे।

2.3 ऐसे स्थल जहाँ राशन उठाव करने हेतु 04 – 05 किलोमीटर से अधिक दुरी तय करना पड़ता है, को चिन्हित करते हुए विभाग को प्रस्ताव बना कर भेजें तथा उसकी प्रतिलिपि आयोग को भी भेजे और सम्बन्धित अधिकारी राशन वितरण में होने वाली समस्या का निराकरण कराना सुनिश्चित करें। प्रखण्ड नाला की पंचायत कासा, कालीपंत में 80 से 90 परिवार है जिनको राशन लाने 4 से 5 की.मी. दूर जाना पड़ता है इनकी समस्या का निदान तुरंत प्रभाव से किया जाए।

3. **जिला समाज कल्याण विभाग :**

जिले के संबधित विभाग द्वारा बताया गया की आगनबाडी केन्द्रों की कुल संख्या 1189 है तो आयोग को यह बताया जाए की जामतारा जिले में पर्यवेक्षकों की कुल संख्या कितनी है यह डाटा आयोग को उपलब्ध कराया जाए। कुल आंगनबाड़ी केंद्रों में से कितने विभाग के अपने भवन हैं और कितने किराये पर चल रहे हैं? यह डाटा आयोग को उपलब्ध कराया जाए गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं, और बच्चों को वितरित पोषाहार की जानकारी आयोग को उपलब्ध करवाई जाए। ऐसे गांव और बस्तियां चिन्हित करें जहां

आशा लकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

File No. Review/25/JH(Dist-Jamtara)/2024-Coord. (Computer No. 24575)
Generated from eOffice by Rahul, INVESTIGATOR-ESDW, INVESTIGATOR, O/o Chairperson-NCST on 21/01/2025 05:14 pm

आंगनबाड़ी केंद्र नहीं हैं और 30-35 परिवार रहते हैं। वहां आंगनबाड़ी की स्थापना करने हेतु विभाग आवश्यक कदम उठाए जिले में सेविका-सहायिका की संख्या, अनुसूचित जनजाति की सेविका-सहायिका का विवरण, और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करें। उच्च शिक्षाधारी प्रतिभागियों को प्राथमिकता दें और आंगनबाड़ी केंद्रों को Play School के रूप में विकसित करें ताकि ज्यादा से ज्यादा आदिवासी समुदाय के बच्चे स्कूल आ सके । कुपोषित बच्चों के लिए प्रखंड मुख्यालयों में शिविर लगाएं और Healthy Baby कार्यक्रम आयोजित करें। सावित्री बाई फुले समृद्धि योजना के तहत शत-प्रतिशत योग्य लाभार्थियों को अच्छादित कर आयोग को सूचित करें।

4. **कल्याण विभाग :**

4.1 जिले में विभाग द्वारा संचालित छात्रावासो में मूलभूत सुविधाओं की कमियों को देखते हुए, समय-समय पर निरीक्षण और सुधार करें साथ ही वहां की प्रबंधन समिति की भी निगरानी की जाए और जिन छात्रवासों में उनकी क्षमता से अधिक छात्र एवं छात्रांए रह रहे है इनकी क्षमताओं में बढोत्तरी की जा जाए ताकि छात्र छात्राएं आराम से रह कर अध्ययन कर सके । कल्याण विभाग द्वारा जिले में नए छात्रावास G+5 के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजे तथा उसकी प्रति के माद्यम से आयोग को भी सूचित करें|

4.2 बिरसा आवास योजना के अंतर्गत जिले में प्रखण्डवार आंकड़े आयोग को प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें अनुसूचित जातियों को आवंटित आवासों की संख्या भी आयोग को उपलब्ध कराई गई है। साथ ही, अन्य सभी आवासीय योजनाओं से संबंधित आंकड़े भी आयोग को प्रस्तुत किए गए हैं। सभी योजनाओं में पहली और दूसरी किस्त के बीच के अंतराल पर विशेष ध्यान दिया गया है। धुमकुड़ीया का निर्माण जिले में काफी कम हो रहा है। जिले में 760 से अधिक गाँव हैं, लेकिन जेहरस्थान (पारंपरिक सामुदायिक स्थल) की संख्या भी बहुत कम है। यह स्थिति चिंताजनक है और इस पर भी विभाग को ध्यान देने की आवश्यकता है।

4.3 फतेहपुर गाँव एक अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र है पर जेहरस्थान नहीं है एंव शमशान घाट में छत नहीं है नारायणपुर के शहरपुर के जेहरस्थान की भूमि का पट्टा गैर – अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को दे दिया गया इन सभी मामलो की जाँच कर जल्दी से जल्दी निदान कर आयोग को रिपोर्ट भेजे|

5. **पुलिस विभाग :**

5.1 जिला पुलिस विभाग द्वारा जिले में अनुसूचित जनजाति के द्वारा दर्ज मामलो का 2020 से लेकर वर्तमान तक लंबित व् निष्पादित मामले चार्जसीट के साथ आयोग को भेजी जाए | हर थाना में एस०टी०/एस०सी० संबंधित मामलों की प्राथमिकता से प्राथमिकी शिकायत दर्ज कर सम्बन्धित थाने में प्रेषित की जाए इसकी प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए ।

5.2 तस्करी और पलायन के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस विभाग जिले से बाहर जाने वाले तथा वे लोग कहाँ जा रहे है व् क्या काम करने जा रहे है इसका पंजीकरण अनिवार्य रूप से करें व् सभी थानों में इसे बाध्यकारी रूप से लागू करवाएं | इसके साथ साथ विभाग मानव तस्करी, पशु तस्करी और अवैध परिवहन द्वारा बालू मिट्टी की तस्करी के मामलों पर भी ध्यान दे|

5.3 एस०टी०/एस०सी० के व्यक्तियों के लिए पुलिस विभाग आतंरिक शिकायत सेल का गठन करें और अनुसूचित जनजाति के पुलिस पदाधिकारी को इसमें आवश्यक रूप से शामिल करें। 15 साल पुरानी पुलिस गाड़ियों को नियमानुसार कन्डम घोषित करने की प्रक्रिया अपनाए ताकि दुर्घटनाओ को रोका जा सके | जिला पुलिस अधीक्षक, महिला एवं पुरुष छात्रावास में सुरक्षा हेतु सुबह शाम दो-दो सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराये।

आशा लकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

File No. Review/25/JH(Dist-Jamtara)/2024-Coord. (Computer No. 24575)
Generated from eOffice by Rahul, INVESTIGATOR-ESDW, INVESTIGATOR, O/o Chairperson-NCST on 21/01/2025 05:14 pm

6. **कृषि विभाग** :- जिला कृषि पदाधिकारी, जामतारा को अनुदानित ट्रैक्टर, पम्प सेट, बीज, और अन्य योजनाओं का समय पर और योग्य लाभुकों को वितरण सुनिश्चित करें। कृषि चास भूमि की उपलब्धता जिले में कितनी है ? इसकी जानकारी आयोग को बताये और किसान मित्र कार्यरत किसानो की संख्या आयोग को उपलब्ध कराये। के०सी०सी० ऋण के लिए जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक को किसानों के साथ बैठक कर ऋण उपलब्ध कराये।
7. **पथ निर्माण विभाग- :** क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए प्राक्कलन तैयार करें और साथ ही पहाड़ी और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण और राजधन गांव में पुल निर्माण की आवश्यकता पर भी बल दिया जाए। इन परियोजनाओं के प्राक्कलन विभाग को भेज कर आयोग को सूचित करें गाँव कई। ऐसे है जिनमे सड़क नहीं है उन सभी पर कार्रवाई कर रिपोर्ट आयोग को भेजे।
8. **स्वास्थ्य विभाग** :- सदर अस्पताल, जामतारा की ओ.पी.डी. रोस्टर बना कर स्थानीय दैनिक अख़बार में प्रकाशित करें जिससे दूर से आने वाले लोगों को अस्पताल में उपलब्ध डॉक्टर और अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी होगी और कुपोषित बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए माह में दो शिविर का आयोजन कराया जाना चाहिए। चिकित्सा विभाग हर ब्लाक में केम्प लगाकर स्वास्थ्य जाँच करे
9. **वन विभाग :** - पहाड / जंगल में रहने वाले भूमिहीन परिवार / व्यक्ति को 300 Sq Feet भूमि हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत कराये जाने चाहिए ताकि पहाड/जंगल में आवासित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास, अबुआ आवास, अम्बेडकर आवास, बिरसा मुण्डा आवास योजना का लाभ मिल सकें। पहाड़ पर वन भूमि जो समतल हो ऐसी भूमि को जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर, खेल मैदान में परिवर्तित करें और पहाड़ में रहने वाले युवाओं को खेल से जोड़े। वन अधिकार कानून, तथा वन विभाग से आदिवासी समाज को किन-किन योजना से लाभान्वित किया जा सकता हैं, के संबंध में जानकारी आयोग को प्रदान करें। योजनाबद्ध तरीके से अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु मुहिम चलाना सुनिश्चित करें।
10. **पशुपालन विभाग** :-बकरी व् सूअर का वितरण स्थानीय ब्रीड से करे तथा उन्हें कोरेंटीन करके वितरण करे ताकि महामारी से बचा जा सके
11. **श्रम नियोजन :-** जिले में कुल कितने श्रमिक पंजीकृत है आयोग को कुल पंजीकृत श्रमिक में अनुसूचित जनजाति के कितना श्रमिक, उसमें महिला/पुरुष कितना पंजीकृत है। साथ ही संगठित / असंगठित, कुशल / अर्द्धकुशल श्रमिक के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराये। साथ ही नगर निकाय के श्रमिकों को संगठित ग्रुप में पंजीकृत करने तथा प्रत्येक प्रखण्ड़ में शिविर लगाकर श्रमिकों को कोटिवार पंजीकृत करना सुनिश्चित करेंगे।
12. **मंडल काराग्रह :-**मंडल कारागृह में कैदियों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराई जाए तथा जिले के काराग्रह में कितने ST समुदाय के लोग बंद है तथा किस मामले में वे कब से बंद है उनका डाटा आयोग को उपलब्ध करवाया जाए
13. **मनरेगा :-**

    जॉब कार्ड, बुर्जुग, महिला, अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति की महिला, गर्भवती महिला का पृथक-पृथक आंकडा आयोग को उपलब्ध कराये। जिले में संचालित योजना यथा आवास निर्माण कार्य, तालाब निर्माण, नल-जल योजना, पार्ट कूप निर्माण का प्रखण्डवार विवरणी आयोग को उपलब्ध कराये ।
14. **मत्स्य विभाग -:**

आशा लकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

File No. Review/25/JH(Dist-Jamtara)/2024-Coord. (Computer No. 24575)
Generated from eOffice by Rahul, INVESTIGATOR-ESDW, INVESTIGATOR, O/o Chairperson-NCST on 21/01/2025 05:14 pm

जिले में मत्स्य पालन में लगे सभी लोगो और अनुसूचित जनजाति के लोगो के आकड़े आयोग को उपलब्ध कराये और मछली पालन के लिए कृत्रिम खेती (आर्टिफिशियल फार्मिंग) को जिले में प्रोत्साहित करें। तालाब की बंदोबस्ती में कितने अनुसूचित जनजाति को मत्स्य उत्पादन में तालाब दिया गया है।

15. जिला स्तर पर भी एक **आतंरिक शिकायत सेल (Internal Grievance Cell)** गठन करते हुए अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी / सहायक की उसमे प्रतिनियुक्ति करें, ताकि छोटे-मोटे शिकायत जिला स्तर पर ही निष्पादित किया जा सकें,

***जिला प्रशासन के सभी विभागों के अपने संबंधित पंचायतों और ब्लॉकों से अनुसूचित जनजातियों से संबंधित लाभार्थियों की स्पष्टता से पहचान करते हुए विस्तृत श्रेणीबद्ध डेटा का रख-रखाव करने की सलाह दी जाती है। आयोग ने इन मुद्दों के त्वरित और प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता पर जोर दिया तथा जामतारा जिला प्रशासन से सिफारिशों पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया।**

आशा लकड़ा
26/09/2024

(डॉ आशा लकड़ा)
सदस्य,
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

9